158. बैठने की जगह (सीटिंग रुम)– (1) मोटर कैब या मेक्सी कैब से भिन्न सामान्य या एक्सप्रेस सेवाओं के रुप में चलाये जाने वाले लोकसेवा यानों में बैठक (सीट) पीठ टेकने तथा आने-जाने के लिए न्यूनतक तथा अधिकतक बैठने की जगह (सीटिंग रुम) की व्यवस्थान निम्नानुसार होगी–

	सामान्य		एक्सप्रेस	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(एक) एक के पीछे एक बैठकों (सीटों) की दूरी–				
(क) जब यान में बैठक आर-पार लगे हों और उनका सामने का भाग एक ही दिशा में हो	66 से.मी.	70 से.मी.	66 से.मी.	74 से.मी.
(ख)जब यान में बैठक आर-पार लगे हों किन्तु वे आमने-सामने हों	127 से.मी.	130 से.मी.	अनुज्ञेय नही है	
(ग) जब बैठक यान की लंबाई में लगे हुए और आमने सामने हों	137 से.मी.	140 से.मी.	अनुज्ञेय नही है	
(दो) बैठकों का आकार	38 से.मी.	40 वर्ग से.मी.	38 वर्ग से.मी.	40 वर्ग से.मी.
(तीन) बैठक की सतह से आसन की पीठ की ऊंचाई	40 से.मी.	40 से.मी.	40 से.मी.	60 से.मी.
(चार) बैठक का प्रकार	(पी.व्ही.सी. लेदर क्लाथ के पोशिश से युक्त रबराइज्ड क्वायर या पोली यूरेथन्स फोम की गद्दी)		(लेदरेक्जीन या वैसी ही सामग्री के पोशिश से युक्त कम से कम 5 से.मी. मोटाई की फोम या रबर फोम की गद्दी)	
(पांच) बैठकों के बीच आने जाने का रास्ता (गेंगवे)	30 से.मी.	30 से.मी.	30 से.मी.	35 से.मी.

परन्तु किसी भी या समस्त एक्सप्रेस गाड़ियों में या रात्रि सेवा यानों के रुप में चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में 38 वर्ग सें.मी. के बदले 40 वर्ग से.मी. के आकार की बैठके (सीटें) लगाई जाएंगी तथा उन्हें 66 सें.मी. के बदले कम से कम 74 सें.मी. की दूरी से एक के पीछे रखे जाएंगे और बैठकों की सतह से बैठक के पीठ की ऊंचाई 40 सें.मी. के बदले 60 सें.मी. रखी जाएगी।

(2) केन्द्रीय मोटर यान नियम,1989 के नियम 128 में पर्यटक यान को यथा उपबंधित विनिर्देश डीलक्स बस को लागू होंगे।

(3) उपनियम (1) एवं (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, समस्त मेक एवं माडल की मंजिली गाड़ियों की बैठक क्षमता, जिनका व्हील बेस निम्नानुसार हे, उनके समक्ष दर्शाई गयी न्यूनतम बैठक क्षमता से कम नहीं होगी–

व्हील बेस	चालक एवं परिचालक की बैठकों को छोड़कर न्यूनतम बैठक क्षमता
1. 166''	46
2. 205''	50
3. 210''	55

(4) उपनियम (3) द्वारा लगाये गये निर्बन्धन जहां तक उनका संबंध इन नियमों के प्रवृत होने पूर्व रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाड़ियों से है, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से चार माह की अवधि तक प्रवर्तित नहीं होंगे।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
परिवहन विभाग

163. लोक सेवा यान में चालक के बैठने का स्थान (सीट)– (1) कोई भी लोक सेवा यान, यान की दाहिनी ओर से भिन्न अन्य किसी भी प्रकार से नहीं चलाया जाएगा।

(2) प्रत्येक लोक सेवा यान में चालक के बैठने के लिए इस प्रकार स्थान आरक्षित रखा जायेगा जिससे कि वह यान पर पूर्ण और बिना किसी बाधा के नियंत्रण रख सके और विशिष्टतया–

(एक) बैठक के जिस भाग पर चालक अपनी पीठ टेकता है वह भाग परिचालन पहिए (स्टीयरिंग व्हील) के निकटतम बिन्दु से 28 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं होगा;

(दो) यान की चोड़ाई एक ओर से दूसरी ओर तक अड़सठ सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और स्टीयरिंग कालम के मध्य बांई ओर बढ़ी हुई होगी जो प्रत्येक स्थिति में पच्चीस सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और वह ऐसी होगी जिससे कि यदि चालक को बार–बार काम पड़ने वाले किसी गीयर लीवर, ब्रेक लीवर या किसी अन्य उपकरणों के मध्य से होती हुई यान की धुरी के समान्तरण एक रेखा खींची जाए तो वह चालक की बैठक के लिए आरक्षित चौड़ाई के कम से कम पांच सेंटीमीटर भीतर आ सके।

(3) चालक को हाथ टिकाने के लिए अधिक से अधिक दस सेंटीमीटर चौड़े हत्थों (आम्सरिस्ट) की व्यवस्था उपनियम (2) के खंड (दो) में विनिर्दिष्ट किए गए स्थान के भीतर की जा सकेगी।

(4) किसी भी लोक सेवा यान का संनिर्माण इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि चालक की दाहिनी ओर कोई भी व्यक्ति बैठ सके या कोई भी सामान ले जाया जा सके।

(5) किसी भी लोक सेवा यान का संनिर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें अलग से एक ऐसा कंपार्टमेंट हो जिसमें चालक को बैठ सकने के लिए समुचित स्थान हो। यह कम्पार्टमेंट पीछे ओर

बाजू की ओर घातु चादर या उचित अंतर पर लगाई गई धातु की छड़ों के समुचित रुप से मजबूत विभाजक (पार्टीशन) द्वारा इस प्रकार पृथक् किया जा सकेगा जिससे कि चालक को उसके सभी तरफ देखने की प्रक्रिया में कोई बाधार लाए बिना पृथक किया जा सके।

(6) प्रत्येक लोक सेवा यान का संनिर्माण इस प्रकार किया जाएगा जिससे बाडी के अगले खम्बे से होने वाली बाधा को छोड़कर चालक सामने की ओर , और 90 अंश का कोण बनाते हुए दाहिनी ओर साफ–साफ देख सके। बाडी के अगले खम्बे का संनिर्माण भी इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि उसके कारण चालक की दृष्टि में यथा संभव कम से कम बाधा आए।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
परिवहन विभाग